

Title: Need to ensure that advertisements regarding recruitment in Government jobs are advertised in regional languages and in local newspapers also.- Laid

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या १४०२४२/९६-प्र. (डी) दिनांक १८ मई, १९९८ के पैरा २ और ३ के अनुसार सभी सरकारी उपक्रम व सरकारी कार्यालय भर्ती हेतु अपने विज्ञापन केवल बड़े अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा रोजगार समाचार के द्वारा विज्ञापित करते हैं। जबकि दिनांक १४.४.१९६१ को सभा पटल पर रखे गए भर्ती नीति टिप्पण में स्पष्ट उल्लेख है कि भर्ती हेतु विज्ञापन स्थानीय भाषा में तथा क्षेत्रीय भाषा समाचार पत्रों में भी दिए जाएंगे। क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में भर्ती हेतु विज्ञापन न दिए जाने के कारण स्थानीय समाचार पत्र पढ़ने वाले स्थानीय अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो जाते हैं। अतः इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भर्ती हेतु विज्ञापन क्षेत्रीय भाषाओं में तथा क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में भी विज्ञापित किए जाएं तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के १८ मई, १९९८ के कार्यालय ज्ञापन को संशोधित किया जाए।

*(Laid on the table of the House)